अंतरराष्ट्रीय अपराधों के लिए न्याय के अवसरों से सम्बन्धित सिविल सोसाइटी (नागरिक समाज) टूलकिट

परिचय **2**

तथ्य की खोज करने वाले मिशन और अंतर्राष्ट्रीय जाँच-पड़ताल तंत्र **3**

इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, ICC) **5**

इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ICJ) **6**

सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार **7**

परिचय

सिविल सोसाइटी (नागरिक समाज) और अन्य इच्छुक पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों और मानवीय कानून के गंभीर उल्लंघनों के लिए न्याय और जवाबदेही पाने का प्रयास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अन्य महत्वपूर्ण सहायता के साथ-साथ, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक समाज इस प्रकार के काम कर सकते हैं: (1) अदालतों तक पहुँच प्राप्त करने के लिए पीड़ितों को तकनीकी सहायता प्रदान करना; (2) अदालत और जाँच-पड़ताल कर्मचारियों को उस संदर्भ को समझने में मदद करना जिसमें कथित उल्लंघन हुए थे; (3) न्याय तक पहुँच प्राप्त करने के लिए निष्पक्ष तथा और अधिक कुशल तरीकों के लिए पक्षसमर्थन करना; या (4) चल रहे अदालती मामलों का अवलोकन करना।

यह **संयुक्त राष्ट्र के तथ्य की खोज करने वाले मिशनों** और **अंतर्राष्ट्रीय जाँच-पड़ताल प्रणालियों**, **इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट** और **इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कार्यों का,** साथ ही सार्वभौमिक **क्षेत्राधिकार के** तहत मामलों को लाने के सामर्थ्यका सार प्रस्तुत करता है।

हमारा इरादा इस टूलकिट को किसी भी ऐसे व्यक्ति या संगठन के लिए उपयोगी बनाना है जिसे अंतर्राष्ट्रीय न्याय और जवाबदेही में रुचि है। यह वकीलों, एक्टिविस्टों (कर्मठ कार्यकर्ताओं) और पीड़ित-उत्तरजीवी संगठनों और दूसरों सहित सभी इच्छुक पक्षों को शामिल करने के लिए 'नागरिक समाज (सिविल सोसाइटी)' शब्द का उपयोग करता है।

कृपया ध्यान दें: इस टूलकिट में शामिल किसी भी जानकारी को कानूनी सलाह के रूप में प्रदान नहीं किया गया है।

इस विषय-वस्तु को एशिया जस्टिस कोएलिशन सचिवालय द्वारा बनाया गया है। इसे इस प्रकार नहीं माना जाना चाहिए कि ये सभी सदस्यों के विचारों या स्थितियों को दर्शाता है।
पिछली बार मार्च 2024 को अपडेट किया गया।

तथ्य की खोज करने वाले मिशन और अंतर्राष्ट्रीय जाँच-पड़ताल तंत्र

(मिशन और तंत्र)

तथ्य की खोज करने वाले मिशन/जाँच आयोग और जाँच-पड़ताल तंत्र (मिशन और तंत्र) अदालतें नहीं हैं; उनका उद्देश्य उल्लंघन की घटना होने के बाद जितनी जल्दी हो सके अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों और मानवीय कानून के उल्लंघनों के बारे में जानकारी एकत्र करना या इसे दस्तावेजी रूप देना है। इस जानकारी का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है: उल्लंघनों के प्रकार या प्रचलन के बारे में निष्कर्ष निकालना; इन निष्कर्षों को संबोधित करने के लिए प्रस्ताव रखना; उल्लंघनों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करना; और, जाँच-पड़ताल तंत्रों के मामले में, मुकदमा चलाने में उपयोग के लिए अदालतों को जानकारी प्रदान करना।

मिशन और तंत्रों को समझना

तथ्य की खोज करने वाले मिशन या जाँच आयोग

तथ्य की खोज करने वाले अंतर्राष्ट्रीय मिशन और अंतर्राष्ट्रीय जाँच आयोग अस्थायी, गैर-न्यायिक निकाय हैं जिनके पास जाँच करने, निष्कर्षों पर पहुँचने और कथित अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों और मानवीय कानून के उल्लंघनों के बारे में प्रस्ताव रखने के जनादेश होते हैं। वे जनरल एसेम्बली (महासभा), सिक्योरिटी काउंसिल (सुरक्षा परिषद) या ह्यूमन राइट्स काउंसिल (मानवाधिकार परिषद) जैसे संयुक्त राष्ट्र के निकायों द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं। उनके जनादेश लोकिक और भौगोलिक दायरे में, साथ ही आदेश देने वाले प्राधिकरण द्वारा निर्णय लेने के अनुसार, जाँच-पड़ताल के केंद्र में आने वाले विषय वस्तु और कार्यकर्ताओं के संबंध में अलग-अलग होते हैं।

वे स्थानीय या अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत मुकदमों की पूर्व सूचकों के रूप में काम कर सकते हैं या व्यापक तौर पर सत्य कहने की प्रक्रियाओं के लिए आधार तैयार कर सकते हैं।

उनका नेतृत्व अक्सर अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों, या 'सदस्यों' की एक समिति द्वारा किया जाता है, जिनके पास अंतरराष्ट्रीय कानून में पर्याप्त अनुभव होता है। सदस्यों से स्वतंत्र और निष्पक्ष होने के साथ-साथ उनसे उच्च नैतिकता रखने की अपेक्षा की जाती है। हालाँकि, मिशन या आयोग के जनादेश के द्वारा हमेशा यह आवश्यक नहीं बनाया जाता है कि उसके सदस्यों के पास प्रासंगिक संदर्भ में अनुभव हो, न ही उनके लिए अक्सर प्रासंगिक स्थानीय भाषा कौशल का होना आवश्यक होता है।

हाल ही के 'तथ्य की खोज करने वाले मिशनों' के उदाहरणों में शामिल हैं: मियानमार, वेनेजुएला और लीबिया। हाल ही के 'जाँच आयोगों' में शामिल हैं: सीरिया, DPRK (डीपीआरके), बुरुंडी और दक्षिण सूडान।

जाँच-पड़ताल तंत्र

तथ्य की खोज करने वाले मिशनों और जाँच आयोगों की तरह ही, अंतर्राष्ट्रीय जाँच-पड़ताल प्रणालियाँ अस्थायी होती हैं, गैर-न्यायिक निकाय जिन्हें मानवाधिकारों और मानवीय कानून के गंभीर उल्लंघनों के बारे में जानकारी एकत्र करने और संरक्षित करने की जिम्मेदारी दी गई होती है। जाँच-पड़ताल प्रणाली संयुक्त राष्ट्र निकायों, जैसे कि सिक्योरिटी काउंसिल (सुरक्षा परिषद), जनरल असेम्बली (महासभा) और मानवाधिकार काउंसिल द्वारा भी अनिवार्य हैं, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विशेषज्ञों द्वारा यहाँ कार्य किया जाता है, जिनकी आवश्यकताएँ तथ्य की खोज करने वाले मिशन/जाँच आयोग के समान होती हैं।

हालाँकि, जाँच-पड़ताल प्रणालियों का उद्देश्य भविष्य के आपराधिक अभियोजन में मदद करना है। जाँच-पड़ताल प्रणालियों को 'केस फाइलों (मामले की फाइलों)' को संकलित करने के लिए एकत्र की गई जानकारी का विश्लेषण करने हेतु अनिवार्य किया जाता है जिसे मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अदालतों को दिया जा सकता है।

जाँच-पड़ताल प्रणालियों के उदाहरणों में शामिल हैं: सीरिया (2016 में स्थापित), ईराक (2017), और मियानमार (2018)।

सहभागिता करने से पहले नागरिक समाज क्या विचार कर सकते हैं?

मिशन या प्रणालियों के साथ नागरिक समाज की सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। हालाँकि, यह ज़रूरी है कि नागरिक समाज के सभी कार्यकर्ताओं को इस बात की स्पष्ट समझ हो कि उनके काम का उपयोग कैसे किया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि नागरिक समाज यह नियंत्रित करने में असमर्थ हो सकता है कि जानकारी को साझा किए जाने के बाद उस का उपयोग कैसे किया जाता है। इसके अलावा, मिशन या प्रणाली आम तौर पर जानकारी एकत्र करने में कार्यरत नागरिक समाज को फंडिंग या सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे।

नागरिक समाज मिशन या प्रणालियों से निम्नलिखित पूछ सकते हैं:

- आप किस तरह की जानकारी एकत्र कर रहे हैं? क्या आपके पास प्रोटोकॉल हैं जिन्हें आप जानकारी एकत्र करने के संबंध में हमारे साथ साझा कर सकते हैं?
- हम आपको जो जानकारी प्रदान करते हैं उसका आप उपयोग कैसे करेंगे? क्या आप हमारे द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी के बारे में प्रतिक्रिया (फ़ीडबैक) देंगे?
- आप हमारे द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी को कब तक संग्रहीत करके रखेंगे?
- जब आप हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी का उपयोग कर रहे हों या उस पर कार्रवाई कर रहे हों तो क्या आप हमें सूचित करेंगे?
- क्या आप हमें अपनी प्रगति के बारे में अपडेट करेंगे? यदि हाँ, तो कितनी बार?
- क्या आप सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट करेंगे? यदि हाँ, तो कब?
- (यदि पीड़ित/गवाह के बयान प्रदान कर रहे हैं, तो) क्या आप उस स्थिति में हमसे संपर्क करेंगे यदि आपका इरादा उन पीड़ितों या गवाहों से संपर्क करने का है जिनसे हमने बयान लिए हैं?
- उन लोगों के डेटा और/या पहचान की सुरक्षा के लिए आपके पास क्या संरक्षण हैं जिनकी जानकारी हम प्रदान कर रहे हैं? हमारे कर्मचारियों/स्वयंसेवकों की?
- हम आपको प्रतिक्रिया (फीडबैक)/प्रस्ताव कैसे प्रदान कर सकते हैं?

नागरिक समाज जो किसी मिशन या प्रणाली को ऐसी जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से संभावित रूप से जानकारी एकत्र करता है, उसे 'कोई नुकसान नहीं' पहुँचाना चाहिए। इसका मतलब है कि: (1) जानकारी प्रदान करने वालों के लिए; (2) जानकारी के लिए; और (3) जानकारी एकत्र करने वालों के लिए, खतरों को कम करना।

इसमें शामिल है:

- अपने स्रोतों की पहचान को गोपनीय रखना, उस जानकारी को सुरक्षित रूप से संग्रहीत करना, और, जहाँ तक संभव हो, जानकारी को उसके स्रोत तक वापस जोड़ने में सक्षम होना।
- विशेष जानकारी के लिए पीड़ितों या गवाहों कोचिंग (अनुशिक्षण) देने से बचें।
- इस बात की पहचान करते हुए कि अदालत के किन्हीं जांचकर्ताओं को पीड़ितों या गवाहों का फिर से साक्षात्कार करने और फिर से आघात पहुँचने की स्थिति या दिए गए परस्पर विरोधी बयानों के जोखिम को कम करने के तरीके खोजने की आवश्यकता होगी।
- जानकारी प्रदान करने वाले किसी भी व्यक्ति से सूचित सहमति प्राप्त करना, और उन्हें सूचित करना कि जानकारी किसी अन्य कार्यकर्ता को प्रदान की जा सकती है जो तब इसे अदालत में प्रदान कर सकता है। यह संभव है कि इस तरह की जानकारी अंततः एक ट्रायल (सुनवाई) में डिफेंस को बताई जा सकती है।
- जानकारी एकत्र करने वाले अपने कर्मचारियों या स्वयंसेवकों की शारीरिक सुरक्षा और मनोवैज्ञानिक भलाई का ध्यान रखना।

जानकारी प्रदान करने वालों की अपेक्षाओं का प्रबंधन करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, न तो खुद मिशन और न ही प्रणालियाँ स्वयं अदालतें हैं, और इसलिए वे खुद आपराधिक मुकदमों में नहीं आएँगे।

इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, ICC)

इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ऐसा एकमात्र स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो सबसे गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराध करने के आरोपी व्यक्तियों की जाँच-पड़ताल करने, उनपर मुकदमा चलाने और सुनवाई करने के लिए स्थापित किया गया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की रोम संविधि (Rome Statute) ने ICC की स्थापना की और साथ ही यह ICC के अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करती है। संपूरकता के सिद्धांत का अर्थ है कि राष्ट्रीय अदालतें अंतरराष्ट्रीय अपराधों की जाँच-पड़ताल करने और उनपर मुकदमा चलाने के लिए प्राथमिक अधिकार-क्षेत्र बनाए रखती हैं, लेकिन ICC एक ऐसे मामले की सुनवाई कर सकती है जहाँ रोम संविधि वाला देश ऐसा करने के लिए 'वास्तव में अनिच्छुक या असमर्थ' हो। ICC के पास पीड़ितों को समर्थन प्रदान करने और मामलों में भाग लेने में पीड़ितों की सहायता करने के लिए ICC के पास समर्पित विशेष कार्यालय हैं।

ICC को समझना

ICC चार अंशों से बना है: प्रेसीडेंसी, चैम्बर्स (मंडल), अभियोजक का कार्यालय (OTP) [Office of the Prosecutor], और रजिस्ट्री। इन अंशों के अलावा, इसमें स्टेट पार्टियों की सभा (या वे सभी देश जो रोम संविधि से सहमत हुए हैं) और पीड़ितों के लिए ट्रस्ट फंड शामिल हैं।

ICC उन मामलों की सुनवाई कर सकता है जो 1 जुलाई 2002 के बाद कथित तौर पर हुए अपराधों से संबंधित हैं। रोम संविधि में परिभाषित, इन अपराधों में शामिल हैं:

- 'नरसंहार', या संपूर्ण या आंशिक रूप से, एक राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को नष्ट करने के इरादे से किए जाने वाले कुछ कृत्य;
- 'मानवता के खिलाफ अपराध', या किसी भी नागरिक आबादी के खिलाफ निर्देशित व्यापक या प्रणालीगत हमले के भाग के तौर पर किए जाने वाले कुछ कृत्य;
- 'युद्ध संबंधी अपराध', या कुछ कृत्य जो जिनेवा सम्मेलनों के गंभीर उल्लंघनों और युद्ध के कानूनों के अन्य गंभीर उल्लंघनों के समान होते हैं; और
- 'आक्रामकता', या आक्रमण, सैन्य कब्जे, और बल के उपयोग से एनेक्सेशन (राज्य-हरण), बंदरगाहों या समुद्री-तटों की नाकाबंदी सहित कृत्य।

यह ज़रूरी है कि आपराधिक आचरण कम से कम आंशिक तौर पर एक स्टेट पार्टी के क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र में घटित हुआ हो।

ICC के साथ सहभागिता करने से पहले नागरिक समाज क्या विचार कर सकता है?

नागरिक समाज के लिए ICC के साथ सहभागिता करने के कई अवसर हैं।

- नागरिक समाज किसी भी समय OTP को जानकारी प्रदान कर सकता है। संचार के लिए कोई विशिष्ट प्रारूप नहीं है। जबकि, सिद्धांत रूप में, OTP जानकारी प्राप्त होने पर सबमिटर को सूचित करेगा, लेकिन व्यवहारिक तौर पर, हो सकता है कि OTP के पास जवाब देने की क्षमता नहीं हो। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि OTP इस जानकारी पर गौर करेगा।
- ऐसे मामलों में जहाँ अभियोजक जाँच-पड़ताल शुरू करने का इरादा ज़ाहिर करता है, वहाँ पीड़ितों के कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से पीड़ित न्यायालय में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं (रोम संविधि अनुच्छेद 15(3))। प्रतिनिधित्व करने के लिए, व्यक्तियों को कार्यविधि और प्रमाण के ICC नियमों केनियम 85 में परिभाषित कुछ निश्चित मानदंडों को पूरा करना होगा।
- ICC नागरिक समाज से भी सहायता की मांग कर सकता है (रोम संविधि अनुच्छेद 44)। हालाँकि, इस सहायता के लिए ICC या OTP द्वारा कोई फंडिंग प्रदान नहीं की जाती है।
- अंत में, यदि जाँच-पड़ताल के परिणामस्वरूप आपराधिक कार्यवाही होती है, तो नागरिक समाज न्यायालय से *एमिकस क्यूरी (amicus curiae),* या 'फ्रेंड ऑफ दि कोर्ट' संक्षेप नामक विशेष मुद्दों पर औपचारिक कानूनी प्रस्तुतियाँ प्रदान करने की अनुमति मांग सकता है।

सहभागिता करने से पहले, नागरिक समाज के लिए निम्नलिखित पर विचार करना उपयोगी हो सकता है:

- ICC (आईसीसी) के साथ सहभागिता करने से जुड़े हमारे लक्ष्य क्या हैं? क्या यह पीड़ितों को अदालत से जुड़ने में सहायता करने के लिए है? क्या यह OTP (ओटीपी) को जानकारी प्रदान करने के लिए है? क्या यह *एमिकस क्यूरी (amicus curiae)* के तौर पर कानूनी राय देने के लिए है?
- न्यायालय का कौन सा अंश या कार्यालय हमें उस लक्ष्य की सहायता करने में मदद करेगा?

इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ICJ)

इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (**ICJ**) देशों के बीच विवादों को हल करता है और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के कार्यान्वयन पर राय और निर्णय प्रदान करता है, विशेष रूप से संधियों के संबंध में।

ICJ अंतरराष्ट्रीय न्याय और जवाबदेही के लिए और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि यह उन मामलों की सुनवाई कर सकता है जिनमें देशों ने *यातना के खिलाफ संधि (Convention against Torture)* और *नरसंहार संधि (Genocide Convention)के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया है।* ICJ ने प्रावधानिक उपायों के भी और अधिक आदेश दिए हैं—जो कि पक्षों के अधिकारों की रक्षा के लिए किए गए अंतरिम आदेश होते हैं—जिनका अनुरोध पक्षकार किसी मामले के लिए या अपने खुद के प्रस्ताव से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, इसने अस्थायी उपायों के अनुपालन की निगरानी के लिए न्यायाधीशों की एक अनौपचारिक (ad hoc) समिति की स्थापना की है।

ICJ को समझना

ICJ संयुक्त राष्ट्र का न्यायिक अंश है (संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अध्याय XIV)। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (*ICJ संविधि*) **के क़ानून** के पक्षकार हैं। ICJ के पास अपने क़ानून के तहत अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के बारे में देशों द्वारा संदर्भित विवादों की सुनवाई करने का अधिकार-क्षेत्र है, जैसे कि वे दायित्व जो कोई देश उस स्थिति में स्वीकार करता है जब वह किसी संधि के लिए एक पक्ष बन जाता है।

ICJ के समक्ष दो प्रकार के मामले हैं:

> **सलाहकारी कार्यवाहियाँ** संयुक्त राष्ट्र की अन्य एजेंसियों के लिए किसी कानूनी मुद्दे पर ICJ से अनुरोध करने का अवसर होती हैं। सलाहकारी राय बाध्यकारी नहीं होती हैं, लेकिन वे ये दर्शा सकती हैं कि न्यायालय विशेष अंतरराष्ट्रीय कानूनी दायित्वों की व्याख्या कैसे करेगा।
>
> **विवादास्पद मामले** देशों के बीच होते हैं; न्यायालय के समक्ष मामलों में केवल देश ही पक्षकार हो सकते हैं (ICJ क़ानून लेख 34(1))। इन मामलों में राज्य-क्षेत्रीय और समुद्री सीमा के विवाद और संधियों की व्याख्या शामिल हो सकती है। यद्यपि भविष्य के निर्णयों को एक विवादास्पद मामले में तय किए गए निर्णय का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन निर्णय मामले के पक्षों पर बाध्यकारी होता है।

अन्य जटिल न्यायिक निकायों की तरह, ICJ के समक्ष कार्यवाहियाँ लंबी होती हैं। मामले कई चरणों से गुजरते हैं।

ICJ के साथ सहभागिता करने से पहले नागरिक समाज क्या विचार कर सकता है?

ICJ के जनादेश में इनके लिए नागरिक समाज के साथ सहभागिता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, इसके क़ानून, नियम और अभ्यास निर्देश नागरिक समाज की सहभागिता के लिए केवल सीमित अवसर प्रदान करते हैं।

कार्यवाहियों का प्रकार यह निर्धारित करता है कि नागरिक समाज ICJ के साथ कैसे सहभागिता कर सकता है।

सलाहकारी कार्यवाहियों में, ICJ ने नागरिक समाज को केवल एक बार सीधे तौर पर कार्यवाहियों में सहभागिता करने का अवसर दिया है। फिर भी, न्यायालय के अभ्यास निर्देश XII के तहत, नागरिक समाज द्वारा न्यायालय रजिस्ट्रार के माध्यम से दिए गए दस्तावेजों को उपयोग के लिए देशों और संयुक्त राष्ट्र निकायों (UN bodies) के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। हालाँकि, ये दस्तावेज़ केस फ़ाइल का हिस्सा नहीं बनेंगे।

विवादास्पद मामलों में, ICJ कानून अनुच्छेद 50 न्यायालय को, उनके खुद के विवेक का प्रयोग करते हुए, एक प्रासंगिक नागरिक समाज संगठन से एक विशेष जानकारी का अनुरोध करने की अनुमति देता है। हालाँकि, यदि विशेष सहायता का अनुरोध किया जाता है, तो यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि न्यायालय ऐसी सहायता के लिए फंडिंग प्रदान नहीं करता है।

यहाँ तक कि अगर प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता करने के कुछ ही अवसर हैं, तो भी नागरिक समाज की रिपोर्टिंग महत्वपूर्ण होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ICJ के न्यायाधीशों के पास पक्षों (पार्टियों) द्वारा औपचारिक रूप से प्रदान की गई जानकारी के बाहर की जानकारी को ध्यान में रखने का अधिकार होता है (*निकारागुआ* [30] देखें)। सीमित परिस्थितियों में (155 के मामले में), इसमें सार्वजनिक रूप से पक्षसमर्थन की रिपोर्ट्स शामिल हैं जो विशेष रूप से रजिस्ट्रार को प्रस्तुत नहीं की गई थीं। नागरिक समाज संगठन भी देशों से प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता करने का प्रयास कर सकते हैं। देशों के प्रति पक्षसमर्थन किसी मामले की शुरुआत को प्रोत्साहित कर सकता है। किसी चल रहे मामले में, केस पार्टियों को प्रदान की गई जानकारी दलीलों को सूचित करने में मदद कर सकती है।

सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार

और अधिक रूप से, अंतरराष्ट्रीय अपराधों पर सार्वभौमिक अधिकार-क्षेत्र का प्रयोग करने वाले राष्ट्रीय अधिकार-क्षेत्र ऐसी स्थितियों में मुकदमा चलाकर दण्ड मुक्ति को रोकने में मदद कर सकते हैं जहाँ संबंधित देश ऐसा करने में अनिच्छुक या असमर्थ है। यह ऊपर चर्चा किए गए संपूरकता के सिद्धांत से संबंधित है : *राष्ट्रीय* अधिकार-क्षेत्र *अंतरराष्ट्रीय* प्रणाली के साथ अंतरराष्ट्रीय अपराधों पर मुकदमा चलाने की प्राथमिक जिम्मेदारी बनाए रखता है - जिसमें ICC भी शामिल है - एक 'अंतिम उपाय' के तौर पर।

'सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार' को समझना

जब कोई स्थानीय अदालत सार्वभौमिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करती है, तो इसका मतलब है कि अदालत गैर-नागरिकों द्वारा उस देश के अधिकार-क्षेत्र से बाहर किए गए अपराध के मामले को सुनने के लिए कानूनी क्षमता का उपयोग कर रही है जहाँ अदालत संचालन करती है और जहाँ वे अपराध अन्य गैर-नागरिकों के खिलाफ थे। इसे अक्सर इस विचारधारा के साथ उचित ठहराया जाता है कि कुछ अपराध इतने घृणित हैं कि उनपर कहीं भी मुकदमा चलाया जाना सक्षम होना चाहिए। इस तरह के अपराधों में नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध शामिल हैं। सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग स्थानीय अदालतों में अंतरराष्ट्रीय अपराधों के लिए आपराधिक जवाबदेही पाने का एक तरीका है।

सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार के तहत मामलों को आगे बढ़ाने में नागरिक समाज क्या विचार कर सकता है?

सभी अदालती मामलों की तरह, सार्वभौमिक अधिकार-क्षेत्र के तहत किसी मामले को लाते समय सफलता की गारंटी नहीं है। कानूनी सलाह लेना बहुत महत्वपूर्ण है। यथार्थवादी होना और इस बात की पहचान करना भी महत्वपूर्ण है कि सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार के तहत किसी मामले को आगे बढ़ाने में लंबा समय लग सकता है। कई बार, मामलों पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा; यदि मुकदमा चलाया जाता है, तो हो सकता है कि इससे दोषी ठहराए जाने का निर्णय न लिया जाए।

हालाँकि, यदि सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार के तहत किसी मामले को लाने पर विचार किया जा रहा हो, तो निम्नलिखित पर विचार करने में मदद मिल सकती है:

- **क्या देश का स्थानीय कानून सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार की अनुमति देता है और अंतरराष्ट्रीय अपराधों को शामिल करता है।** जबकि यूरोप के कई देशों में युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और नरसंहार के लिए अपने स्थानीय कानून में सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार के प्रावधान हैं, एशिया के देशों में केवल कुछ ऐसे कृत्यों के लिए ही सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार को अनुमति देने की अधिक संभावना है जो जिनेवा सम्मेलनों के तहत 'गंभीर उल्लंघन' हों।
- **क्या देश ने कुछ निश्चित संधियों को मान्यता दी है, जैसे कि जिनेवा संधि-पत्र, उनके अतिरिक्त प्रोटोकॉल और यातना के खिलाफ संधि-पत्र।** ऐसा इसलिए है क्योंकि इन संधियों में कुछ निश्चित प्रकार के संधि-आधारित अपराधों के कथित अपराधी को 'प्रत्यर्पित करने या उसपर मुकदमा चलाने' का दायित्व भी शामिल है। ध्यान रखें कि यह दायित्व उस क्षेत्राधिकार का *निर्माण* नहीं करता है जिसके माध्यम से अदालत किसी अपराधी पर मुकदमा चला सकती है, लेकिन इससे इस बात की अधिक संभावना हो सकती है कि मुकदमा चलाया जाना संभव है।
- **चाहे देश की अदालतें और अभियोजक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक मामलों और अदालतों से परिचित हों या उनके पास इसका अनुभव हो, परन्तु अभियोजकों या पुलिस के पास जटिल मामलों के लिए जाँच-पड़ताल करने की क्षमता होती है।** उदाहरण के लिए, कुछ यूरोपीय देशों में मामलों को तैयार करने और युद्ध अपराधों पर मुकदमा चलाने में सहायता करने के लिए विशेष इकाइयाँ हैं।
- **क्या सार्वभौमिक अधिकार-क्षेत्र के प्रयोग के लिए स्थानीय राजनीतिक इच्छा है।** कुछ देश जो सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार की अनुमति देते हैं, वे फिर भी यह आवश्यक बनाते हैं कि देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी, जैसे कि अटॉर्नी-जनरल, को अभियोजन पक्ष को मंजूरी देनी होगी। इसी तरह, क्योंकि सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार के मामले जटिल और लंबे होते हैं, इसलिए उन्हें व्यापक राज्य-संसाधनों के समर्पण की आवश्यकता होती है।
- **क्या एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय जाँच-पड़ताल प्रणाली के माध्यम से संभावित प्रमाण तक पहुँच है** जो अभियोजन के अनुरोध करने या केस (मामले) की फाइलों को संकलित करने के लिए संसाधन आवश्यकताओं को कम करने हेतु पहले से ही वैधता में कमी कम चुका है।
- **क्या कहीं और कोई अन्य सक्रिय अभियोजन है** और क्या यह स्पष्ट है कि मामला किस कानूनी 'कमी' को पूरा कर रहा है।
- **क्या आरोपी देश के क्षेत्र में मौजूद है, या मौजूद होने की योजना बना रहा है।** इस बारे में राय और कार्यप्रणाली बंटे हुए हैं कि यदि अभियुक्त शारीरिक रूप से देश के क्षेत्र के भीतर मौजूद नहीं है तो क्या उस स्थिति में सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। कुछ देश अभियुक्त के अनुपस्थित होने पर मामला खोलने की अनुमति देते हैं, कुछ के लिए यह आवश्यक होता है कि अभियुक्त 'स्वेच्छा से' उनके क्षेत्र में मौजूद हो। 'स्वेच्छा से' की स्थिति में प्रत्यर्पण के कारण उपस्थिति शामिल नहीं है।

टूलकिट के बारे में

यह टूलकिट एशिया भर में नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के लिए एशिया जस्टिस कोएलिशन (Asia Justice Coalition) सचिवालय द्वारा आयोजित बहु साप्ताहिक प्रशिक्षण का परिणाम है।

यह अनुवाद अंग्रेजी में प्रदान किए गए टूलकिट का एक संक्षिप्त संस्करण है और यह यहाँ उपलब्ध है।

कोएलिशन (गठबंधन) के बारे में

2018 में स्थापित, एशिया जस्टिस कोएलिशन का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के सकल उल्लंघनों और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के गंभीर उल्लंघनों के लिए न्याय और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु एशिया में कानूनी परिदृश्य में सुधार करना है। कोएलिशन (गठबंधन) क्षेत्र में काम कर रहे स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक समाज संगठनों के बीच सहयोग, संसाधन-साझाकरण और समन्वित प्रयासों के माध्यम से संचालन करता है। इसका काम न्याय और जवाबदेही से संबंधित संयुक्त गतिविधियों को शुरू करके और सामूहिक पक्षसमर्थन में सहभागिता करके पूरा किया जाता है।

वेबसाइट | ट्विटर | फेसबुक | लिंक्डइन